आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
30/9/16	**आदेश** आपूर्ति अपील सं0–227/12–13 चन्द्रशेखर साह बनाम् सरकार का मामला विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–59/आ0 दिनांक–16.01.2013 के विरूद्व दायर किया गया है। अपीलार्थी प्रखंड–रजौन के पंचायत–संझा श्यामपुर अंतर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे जिनकी अनुज्ञप्ति सं0–69/12 को स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने तथा निबंधित डाक से अवकाश हेतु आवेदन भेजने एवं सितम्बर, 2012 का भुगतान शुदा किरासन तेल का कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा नहीं करने के आरोप में रद्द किया गया है। अपील सुनवाई हेतु अंगीकृत है एवं LCR प्राप्त हुआ है। निर्धारित तिथि पर उभय–पक्ष की सुनवाई की गई। मामले के संबंध में गवाह विनोद दास भी उपस्थित थे तथा उन्हें भी सुना गया। अपीलकर्त्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–1220 दिनांक–03.11.2012 से स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु यह नोटिस उन्हे प्राप्त नहीं हुआ फलस्वरूप अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर सके तथा दिनांक–16.01.2013 के आदेश से उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है। अपीलार्थी बीमार ग्रस्त रहे थे एवं स्वाथ्य लाभ में थे। वर्ष–1991 से सेवा प्रदान कर रहे थे तथा अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे है। उपर्युक्त तथ्यों को रखते हुए विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करने एवं अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना अपीलकर्त्ता की ओर से किया गया। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई उचित है। अपीलार्थी का यह कहना सही नहीं है कि उन्हे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि स्पष्टीकरण का नोटिस तामिल करने हेतु इनके घर पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गये थे तथा विक्रेता की पत्नी एवं बच्चे ने नोटिस लेने से इन्कार किया गया। फलस्वरूप तामिला प्रतिवेदन पर दो गवाह शंकर प्रसाद साह एवं विनोद दास के सम्पुष्टि हस्ताक्षर के साथ नोटिस वापस किया गया। इस प्रकार जानबुझकर इनके परिवार द्वारा नोटिस नहीं लिया गया एवं अब बहाना बना रहे है कि उन्हे नोटिस प्राप्त नहीं कराया गया है। स्पष्ट है कि इन्हे नोटिस तामिल करने हेतु इनके घर पर गये थे तथा परिवार के सदस्यों को जानकारी हुई एवं अपीलार्थी अब यह परिवाद नहीं कर सकते है कि उन्हें नोटिस तामिल नहीं कराया गया था। दूसरे गवाह शंकर प्रसाद साह के संबंध में कहा गया कि उनकी मृत्यु हो गई है जिसके संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नोटिस तामिला प्रतिवेदन में यह तथ्य अंकित किया गया है एवं अभिलेख पर है। उपर्युक्त के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया। गवाह विनोद दास न्यायालय में उपस्थित थे। नोटिस तामिला के क्रम में उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर को पहचान किया गया एवं कहा गया कि यह हस्ताक्षर उन्ही के द्वारा किया गया है तथा यह भी कहा गया कि अपीलार्थी की पत्नी एवं बच्चे को अपीलार्थी के नाम का नोटिस दिया गया जिसे अपीलार्थी की पत्नी एवं बच्चे के द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया था तथा गवाह के रूप में उन्होने हस्ताक्षर किया है जो सही है। बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा एक सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–18112/2015 चन्द्रशेखर साह बनाम् राज्य एवं अन्य की याचिका दायर किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–26.11.2015 को आदेश पारित किया गया है जिसे अपीलार्थी द्वारा अपील वाद में दाखिल	

भी किया गया है। अपील वाद का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। अवलोकन किया गया।

LCR का भी अवलोकन किया गया जिसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–154 दिनांक–24.12.2012 उपलब्ध है। अपीलार्थी के संबंध में यह तथ्य प्रतिवेदित किया गया है कि–

"दिनांक–05.12.2012 को चन्द्रशेखर साह अपने घर के बगल में सड़क पर खड़ा था। मैने उनसे पूछा कि आप तो ठीक है। गलत सूचना क्यों देते है। अगर दुकान नहीं चलाना है तो साफ–साफ बता दे तो श्री साह द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया।

पुनः दिनांक–12.12.2012 को जब 4 बजे अपराह्न में उनके घर गया तो उनकी पत्नी से श्री साह के बारे में पूछा तो उनकी पत्नी ने बताया कि घर पर नहीं है कलकत्ता गये है।

पूर्व में भी श्री साह द्वारा मनमाने ढंग से दूकान बंद कर छुट्टी पर चले गये थे। इनका कार्य कभी भी संतोषजनक नहीं रहा है। इनके द्वारा खाद्यान्न उठाव हेतु राशि जमा नहीं करने के चलते भी लाभुको को खाद्यान्न नहीं मिला है। रह–रहकर बीच में कभी बीमार रहने का बहाना तो कभी छुट्टी पर चले जाना इनका आदत है। मैने दो–तीन बार राशन/किरासन का वितरण सही रूप से हो सभी कूपन प्राप्त लाभुको को राशन/किरासन समयानुसार मिले के संबंध में पंचायत के मुखिया के साथ बैठक भी किया लेकिन श्री साह बैठक में नहीं आये। अभी तक माह सितम्बर, 2012 का किरासन तेल कूपन भी जमा नहीं किया है।"

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी पूर्णतः अपने कार्य के प्रति लापरवाह रहे थे। जानबूझकर घर के सदस्यों द्वारा नोटिस नहीं लिया जिसकी सम्पुष्टि गवाह विनोद दास ने स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर किया है। नोटिस नहीं मिलने का बहाना किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

जन वितरण प्रणाली सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजना है। इस योजना में पाई गई अनियमितता से समाज के गरीब, वंचित समाज कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित नहीं हो पाते है इससे विधि व्यवस्था की भी समस्या पैदा होती है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक– 59/आ0, दिनांक– 16.01.2013 को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

30.9.16

समाहर्त्ता,
बांका।

30.9.16

समाहर्त्ता,
बांका।